*The Sameeksha (समीक्षा) Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi*
*Vol. 3, Issue 1 - 2019*

# आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दशा एवं दिशा का आलोचनात्मक अध्ययन वर्तमान शिक्षा की दशा एवं दिशा

## डॉ परमेश्वर कुमार पाण्डेय

भारत की प्रचीन शिक्षा पद्वति का गौरवशाली इतिहास पूरे विश्व में प्रसिद्व रहा है। यहॉ के गुरू आचार्य एवं शिष्य आदर्श के रूप में स्थापित रहे हैं। भारत विश्व गुरू के रूप में स्थापित था। गुरू का महत्व समस्त कीमती वस्तुओं एवं पदों से उपर था। अवतारी महापुरूषों तथा ईश्वर ने भी गुरू को अपने से उपर बताया है। यह प्राचीन गौरव आज अतीत का विषय हो चुका है।

वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

1. प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. उच्चशिक्षा

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दो वर्गो में बाटा जा सकता है–सरकार द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था जिसमें शिक्षकों को वेतन दिया जाता है तथा छात्र/छात्राओं की संख्या बढाने के लिए सरकार द्वारा छात्र/छात्रों को प्रलोभन दिया जाता है।

दूसरे वर्ग में वे स्कूल या विधालय जिसमें सरकार द्वारा केवल स्कूल खोलने की मान्यता दी जाती है जिसमें काई भी व्यक्ति जो साधन सम्पन्न हो विध्यालय खोल सकता है। सरकार द्वारा इन विध्यालयों के शिक्षकों को कोई अनुदान नही दिया जाता है। ये विध्यालय प्राइवेट विध्यालय के नाम से प्रसिद्व है; जिसमें इसे चलाने के लिए छात्र/छात्राओं से मोटी शुल्क ली जाती है। इन विध्यालयों में पढाने वाले अध्यापकों की स्थिति मजदूरों से भी बद्तर होती है। इन प्राइवेट विध्यालयों में स्कालर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देने की व्यवस्था सरकार करती है लेकिन अध्यापकों को देने के लिए सरकार के पास बजट नही होता है। इन शिक्षकों को वेतन के नाम पर कुछ पैसे विध्यालय चलाने वाले प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। उनकी आय का स्रोत बच्चों द्वारा दिया गया शुल्क होता है।

दूसरे स्तर पर माध्यमिक विध्यालय है। इसमें कुछ राजकीय विध्यालय कुछ केन्द्रीय विध्यालय कुछ नवोदय विध्यालय तथा अधिकांश मात्रा में प्राइवेट विध्यालय है। प्राइवेट विध्यालयों को पुराने सत्र के आधार पर सरकार द्वारा अनुदान की सूची में लिया जाता है।

राजकीय विध्यालय केन्द्रीय विध्यालय तथा सरकार द्वारा अनुदानित विध्यालय के अध्यापकों का वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। प्राइवेट विध्यालय को वेतन उसे संचालित करने वाले प्रबन्ध समितियों द्वारा दिया जाता है। यह वेतन सरकारी अध्यापकों की तुलना में काफी कम होता है।

तृतीय स्तर पर उच्चशिक्षा की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था है– संघ सूची; राज्य सूची तथा समवर्ती सूची।

*प्राचार्य, जी.डी.एस.बी.पी.जी. कालेज डेरापुर, कानपुर देहात।
***Correspondence E-mail Id:*** editor@eurekajournals.com

*© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.* **ISSN: 2581-401X**

शिक्षा न तो राज्य सूची में है न ही संघ सूची मे बल्कि इसकी व्यवस्था समवर्ती सूची में की गयी है। अतः केन्द्र एवं राज्य इसे एक दूसरे पर टालते रहते है।

भारत में केन्द्रीय विश्वविध्यालय केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होते है राज्यों में राज्यविश्व विध्यालयों की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत महाविध्यालय संचालित होते है। राज्य विश्वविध्यालय में भी सरकारी एवं गैर सरकारी की व्यवस्था है। सरकारी विश्वविध्यालय में भी कुछ लोगों को सरकार द्वारा वेतन प्रदान किया जाता है तो कुछ कर्मचारियों को भिन्न–भिन्न मदों से वेतन दिया जाता है जो प्राइवेट तथा अस्थायी होते है।

तृतीय स्तर की शिक्षा में सरकार ने एक स्ववित्त पोषित विश्वविध्यालय एवं महाविध्यालयों को मान्यता दे दिया है जिसका संचालन सांसदों विधायकों मन्त्रियों नौकरशाहों तथा देश की पूँजीपतियों द्वारा किया जाता है। इन पूँजीपतियों की सरकार पर मजबूत पकड़ हाती है तथा कोई भी कानून इनके हितों के विरूद्व नही बन पाता। इन प्राइवेट विश्वविध्यालयों एवं महाविध्यालयों में देश के बुद्विजीवी इमानदार नौकरी करते है जिनके पास अपना रोजगार करने के लिए पैसा नही होता तथा सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत नही दे सकते। इन नवयुवकों का भरपूर शोषण किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन महाविध्यालयों के प्राचार्य जो महाविध्यालय के मुखिया होते है उनकी सेवा की कोई नियमावली नही है। इन महाविध्यालयों के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा स्कॉलरशिप तथा शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है लेकिन अध्यापकों तथा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास धन नही होता। शिक्षा की उपर्युक्त तीन श्रेणियो में जो विसंगतियॉ है सरकार द्वारा इसका कोई समाधान नही किया जाता या ये कह लीजिए कि सरकार समाधान करना ही नही चाहती। शिक्षा की अत्यन्त दयनीय दशा है। सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा कोढ रोग के समान है जिसमें पढने वाले छात्र/छात्राएं कोढी होकर निकलते है जो देश के उपर भार बनते है। प्राइवेट शिक्षक परिश्रम तो करते है परन्तु आगे उन शिक्षकों का क्या भविष्य होगा वे इस साल काम कर रहे है अगले वर्ष शिक्षक रहेगें या विद्यालय से निकाल दिये जायेगें। स्वयं नही जानते। इन शिक्षकों का जिनको अपने भविष्य का पता नही है किस प्रकार छात्रों के भविष्य का निर्माण करेंगें।

माध्यमिक शिक्षा जो सरकारी तथा प्राइवेट दो वर्गो मे बटी है अधिकांश विद्यालय के छात्र/छात्राएं नकल के सहारे है। प्राइवेट विद्यालय केवल अपना रिजल्ट सुधारने मे लगे है गुणवत्ता से कुछ लेना देना नही है। सी बी एस सी बोर्ड द्वारा शिक्षा मे सुधार का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसमे भी प्राइवेट विद्यालय संचालक इसे अपनी दुकान बनाने में लगे है।

सबसे अधिक दुर्दशा उच्चशिक्षा की है जिसमें केवल नकल का बोलबाला है। विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नगण्य है। वास्तविकता यह है कि ये महाविद्यालय केवल डिग्री एवं सर्टीफिकेट बाटने की मशीन बन कर रह गये है।

## समाधान–सुझाव

1. देश के बजट में शिक्षा पर 35 प्रतिशत व्यय किया जाय।
2. शिक्षा को संघ सूची अथवा राज्य सूची में शामिल किया जाय।
3. सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयो को बन्द कर दिया जाय। प्राथमिक स्तर पर गॉव के ग्राम प्रधान को प्राथमिक विद्यालय के भवनों की सुरक्षा तथा एक प्रधानाध्यापक को

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-401X

नियुक्त किया जाय। उसके लिए न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक को मानक के अनुसार वेतन दिया जाय। गॉव में से ही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो तथा विद्यार्थियों से उचित शुल्क लिया जाय जिसपर ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक का नियन्त्रण हो। शिक्षकों का वेतन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। सरकार द्वारा पचास प्रतिशत वेतन अपने निधि से तथा पचास प्रतिशत शुल्क से होना चाहिए। शुल्क के बचत भाग को विद्यालय भवन के विकास में खर्च किया जाय। अध्यापक द्वारा लापरवाही की स्थिति में प्रधानाध्यापक की संस्तुति पर ग्राम प्रधान द्वारा दण्डित किया जा सके।

4. कुटीर उद्योग को भी इस स्तर पर सैद्वान्तिक एवं व्यावहारिक स्तर पर विकसित किया जा सकता है।
5. जिस छात्र की आर्थिक स्थिति खराब है ग्राम प्रधान द्वारा संस्तुति की जा सकती है जिसके शुल्क मे रियायत की जा सकती है।
6. सरकार द्वारा कोई स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति न दिया जाय बल्कि इस धन को रोजगार उत्पन्न करने पर व्यय किया जाय।

माध्यमिक स्तर पर सभी प्रकार के बोर्ड में एकता हो। पाठयक्रम समान हो। सरकार द्वारा जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय की संख्या एवं स्थान निश्चित कर लिया जाय तथा देश के पूॅजीपतियों को विद्यालय खोलने के लिए आमन्त्रित किया जाय। सरकार द्वारा मानक निश्चित किया जाय। पूॅजीपतियों द्वारा विद्यालय खोलने के बाद एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य होगा जिसका वेतन सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा तथा उसे सरकार अपनी निधि से देगी। शेष शिक्षक सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति मंडल द्वारा होगा जिसमे प्रबन्ध समिति भी शामिल होगी । विद्यालय में पूर्ण पारदर्शिता होगी। शुल्क का 70 प्रतिशत अध्यापकों के वेतन के मद में होगा जो सरकार के खजाने में जायेगा तथा सरकार उससे अध्यापकों कों वेतन प्रदान करेगी। 30 प्रतिशत शुल्क प्रबन्ध समिति अपने विद्यालय के रखरखाव में खर्च करेगी। तृतीय स्तर पर उच्चशिक्षा जो समाज की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता है। वर्तमान उच्चशिक्षा की व्यवस्था दोषपूर्ण है अतः उसे समाप्त कर नवीन दिशा तय की जायेगी।

देश में जितने भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की आवश्यकता है इसका निर्धारण किया जायेगा। जो उच्चशिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसे ही उच्चशिक्षा दी जाय उसके साथ जबरदस्ती नही होनी चाहिए। जिसने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की है सारे पैसे इकट्ठा कर उसको शत–प्रतिशत रोजगार दिया जाय। र्वतमान विद्यालय भवनों को तथा जितने की आवश्यकता हो उसे इच्छुक पूॅजीपतियों द्वारा खोलवाया जाय। एक प्राचार्य की नियुक्ति हो जिसका उचित मानक के अनुसार वेतन सरकार द्वारा दिया जाय यह सरकार का अपना व्यक्ति होगा। शेष अध्यापकों की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा किया जाय। प्राचार्य भी इस नियुक्ति मण्डल के सदस्य होगें। सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण किया जाय। शुल्क का 70 प्रतिशत भाग सरकारी खजाने में जमा किया जायेगा। 30 प्रतिशत हिस्सा प्रबन्ध समिति द्वारा अपने अनुसार व्यय किया जायेगा जिसका उस लेखा जोखा देना होगा। अध्यापकों का वेतन सरकार द्वारा दिया जायेगा। कमजोर छात्र/छात्राओं जो अर्थिक रूप से निर्धन है तथा पढने मे उत्तम है सरकार द्वारा शुल्क

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-401X

मे रियायत दी जायेगी। किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप नही दिया जायेगा। उच्चशिक्षा प्राप्त छात्र/छात्राओं को शत प्रतिशत रोजगार दिया जायेगा। गुरूओं को प्राचीन परम्परा के अनुसार सम्मान दिया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था स्थापित कर देश के नवीन भविष्य का निर्माण किया जा सकता है तथा गुरूकुल की परम्परा स्थापित कर भारत विश्व गुरू बन सकता है। शिक्षा रूपी कारखाने में मानव निर्मित होता है अतः इसके निर्माण कर्ता को आदर्श मानकर पहले उसके भविष्य का निर्माण किया जाय देश का भविष्य निश्चय ही उज्जवल होगा।

जय हिन्द–जय भारत

*© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.* **ISSN: 2581-401X**